

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] No. 299] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 21, 2016/आषाढ़ 30, 1938 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 21, 2016/ASADHA 30, 1938

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना

हैदराबाद, 15 जुलाई, 2016

बीमा सलाहकार समिति

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स/19/131/2016.–बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना बनाता है:

अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. को बीमा सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में अध्यक्ष-व-प्रबंध निदेशक, युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि., जो दिनांक 25 मई 2015 की अधिसूचना फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./बी.स.स./7/97/2015 के अनुसार पुनर्गठित बीमा सलाहकार समिति के एक सदस्य थे, को अपवर्जित करते हुए नियुक्त किया जाता है।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष [विज्ञापन.III/4/असा./181/161]

3656 GI/2016 (1)

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

Hyderabad, the 15th July, 2016

INSURANCE ADVISORY COMMITTEE

F. No. IRDAI/IAC/19/131/2016.— In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority hereby makes the following notification:

Chairman-cum-Managing Director, National Insurance Co. Ltd. is appointed as a member of the Insurance Advisory Committee by excluding Chairman-cum-Managing Director, United India Insurance Co. Ltd., who was one of the members of the Insurance Advisory Committee reconstituted vide Notification F. No. IRDA/IAC/7/97/2015 dated 25th May, 2015.

T. S. VIJAYAN, Chairman

[ADVT. III /4/Exty./181/161]